Serial No. 1094 Circle:-:NA Book No. :- 4 Deed No. 11

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

Serial No. 1094 Deed No. 11

V 117662

बिहार सरकार

जिला निबंधन कार्यालय, बक्सर

पृष्ठांकन का सारांश

दिनांक **08/02/2017** को **Raghvendra Kumar Rai** द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमे रू0 **6000** मुद्रांक शुल्क एवं रू0 **2500** निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया । दस्तावेज ग्राह्य पाया गया । जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं0 **11** के रूप मे पुस्तक सं0 **4** की जिल्द सं0 **1** के पृष्ठ सं0 **98** से **116** तक **CD 1** में आज निबंधित एवं कुल **19** पृष्ठों में संधारित किया गया ।

डॉ0 यशपाल

निबंधन पदाधिकारी

दिनांक– 08/02/2017 टोकन नं. 1106 / 2017

SCROLL NO

105+118+157+

SCROLL CHECKED

ट्रस्ट डीड/ न्यास - पत्र

(ट्रस्ट की नियमावली)

मैं राघवेन्द्र कुमार राय पुत्र श्री स्व0 बरमेश्वरनाथ राय ग्राम- सरैंजा, पोस्ट- सरैंजा, थाना-राजपुर, जिला-बक्सर, (अध्यक्ष) बिहार का निवासी हूँ।

जिला अवर निबंधक

बक्सर

030618300100

District Registry Office,Buxar

Token Number 1106 | Reg. Year 2017 | Serial Number 1094 | Deed Number 11

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Trustee	Anand Mohan Sig. आनन्द मोहन 8/2/17						
Trustee	Jay Prakash Ray Sig. जयप्रकाश राय 8-2-17						
Trustee	Jitendra Kumar Singh Sig. जितेन्द्र कुमार सिंह 8-2-17						
Presented By	Raghvendra Kumar Rai Sig. राघवेन्द्र कुमार राय 8-2-17						
Trustee	Raghvendra Kumar Rai Sig. राघवेन्द्र कुमार राय 8-2-17	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Trustee	Sudhir Kumar Rai Sig. सुधीर कुमार राय 8-2-17						
Identified By	Anil Kumar Shrivastwa Sig. अनिल कुमार श्रीवास्तव 8-2-17	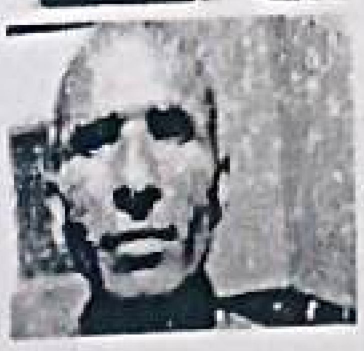					

जिला अवर निबंधक
बक्सर

राघवेन्द्र कुमार राय 8.2.17

जिला अवर निबंधक बक्सर

मैं अपने द्वारा व्यक्तिगत रूप से अर्जित धन में से 50000/-(पचास हजार) देकर निम्न नामधारी ट्रस्ट/ न्यास की स्थापना करता हूँ। इस ट्रस्ट/न्यास का प्रबन्धन, कार्य प्रणाली, उद्देष्य एवं व्यवस्था निम्नलिखित नियमों/ उपबन्धों के अनुसार अन्तर्गत की जायेगी।

1. ट्रस्ट का नाम : चाणक्य फाउण्डेशन

2. ट्रस्ट का कार्यालय एवं पता : ग्राम- सरेंजा, पोस्ट- सरेंजा, थाना-राजपुर, जिला-बक्सर

(आवश्यकतानुसार बदला जा सकता है।)

3. कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष

4. ट्रस्ट का उद्देश्य : ट्रस्ट के निम्न उद्देश्य होंगे।

निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट का गठन किया जाता है–

1. प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का प्रसार, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विशेष रूप से पारम्परिक भारतीय वैदिक विज्ञान तथा वेद, उपनिषद, वैदिक, ज्योतिष, आयुर्वेदिक, नैसर्गिक चिकित्सा, रत्न विज्ञान, मेडीटेसन आदि आधारित शिक्षा, व्यवहार एव स्वास्थ्य का विकास

2. उपरोक्त के आधार पर जीवन के सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक एवं तार्किक जीवन यापन को बढ़ावा देना।

3. उपरोक्त हेतु वैज्ञानिक कार्यशालाओं , प्रशिक्षण शिविर, सेमिनार एवं संगोष्ठी का आयोजन करना।

5. उपरोक्तानुसार कार्यक्रम आयोजित करने वाले संगठनों, समूहों या व्यक्तियों को सलाह करना।

6. न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किताबें, समाचार पत्र, सावधिक (पीरियोडिकल्स) जर्नल, संवाद पत्र (न्यूज लेटर) दृश्य–श्रव्य एवं डिजिटल डाटा आदि का प्रकाशन करना ।

7. न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यरत व्यक्तियों, समूहों, संगठनों एवं समितियों आदि के लिए सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करना।

8. पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा इन उद्देश्यों हेतु संस्थाओं को स्थापित करना तथा अभिविद्वत करना।

9. न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक कानूनों, लाभकारी नियमों एवं परिनियमों के निर्माण हेतु वार्तायें, संगोष्ठी आदि आयोजित करना, ज्ञान प्रसारित करना, न्याय के उद्देश्यों हेतु जनहित याचिका आयोजित करना तथा जनता को उत्प्रेरित करना।

10. न्यास के उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु जनता को अध्ययन, अनुसंधान, अध्यापन आदि की संस्थाओं आदि में सुविधा प्रदान करना जिससे कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह हो सके।

11. इस न्यास व इसके उद्देश्यों का प्रचार–प्रसार ऐसे माध्यमों द्वारा करना जो उचित समझे जाए विशेष रूप से जैसे प्रेस परिपत्र (सरकूलर्स) इसके कार्यो की प्रदर्शनी, पारितोषिक तथा दान आदि वितरित करना।

12. न्यास के उद्देश्यों के सम्बन्ध में अनुवेश एवं सन्दर्भ पुस्तकालय स्थापित करना तथा उसमें पढ़ने–लिखने के कमरे स्थापित करना और पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों तथा अन्य प्रकाशनों को उपलब्ध कराना।

13. अस्पताल, स्कूल, अभियंत्रण, चिकित्सा, प्रबन्धन तथा विधि विद्यालय, डिस्पेन्सरी प्रसूति गृह, बाल कल्याण केन्द्र, परिचर्या गृह, केच तथा अन्य इसी प्रकार के पूर्त संस्थाओं को जन सामान्य के लाभ हेतु भारत में स्थापित करना, उनका उत्थान करना व उन्हें धन व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना।

14. परिवार कल्याण एवं उससे सम्बन्धित अन्य समस्त प्रकार के कार्यक्रमों को संचालित करना।

15. भारत में स्कूल, कालेज, पुस्तकालय, अध्ययन कक्षों, विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, बचत निधि एवं अन्वेषण संस्थान व अन्य इसी प्रकार के संस्थान जो छात्र व कर्मचारियों के लाभ के लिए हो, को स्थापित करना, चलाना, मदद करना व आर्थिक सहायता देना तथा शिक्षा का विकास प्रगति और ज्ञान का जन सामान्य में प्रसार करना।

16. विभिन्न संक्रामक/गैर संक्रामक बीमारियों जैसे–एड्स, मस्तिष्क ज्वर, कुष्ठ रोग, कैंसर, पोलियो, मोतियाबिन्द, आदि के रोकथाम के लिए सरकार व अन्य सामाजिक संगठनों तथा व्यक्तियों के मदद से कार्य करना।

17. उद्यान (पार्क), व्यायामशाला, क्रीडा क्लब व धार्मिक स्थान व विश्राम गृह, मनोरंजन क्लब, धर्मशाला, आदि की जन सामान्य के उपयोग के लिए स्थापना करना, उन्हें चलाना तथा उनकी सहायता करना।

18. हिन्दू, सिक्ख, जैन, बौद्ध इस्लाम आदि धर्मो के लोगों को संगठित करना तथा सेवा आदि के लिए गुरूद्वारा, मंदिर निर्मित कराना और उसका प्रबन्धन करना और मंदिर में पूजा के लिए मूर्तियाँ लगवाना।

19. विचारकों, विधवाओं, अन्धों, वृद्धों, गरीबों, जरूरतमंदों, आभावग्रस्त व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह, धर्मशाला, विद्यालय, नवजात शिशुओं के लिए आश्रय गृह, अनाथालय आदि स्थापित करना व उनका प्रबन्धन करना और इस प्रकार के लोगों की सहायता करना।

20. शारीरिक रूप से विकलांग, अक्षम और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए संस्थान की स्थापना करना तथा विकास करना जिसमें ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा, भोजन, कपड़ा आदि देकर सहायता की जाये।

जिला अवर निबंधक बक्सर

जिला अवर निबंधक

21. अन्य सार्वजनिक पूर्त (पब्लिक चैरिटेबिल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना।

22. कृषि, बागवानी, पशुपालन, गृह–उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, नारी उत्थान, निरोध कानून एवं व्यवस्था का विकास, स्वैच्छीकरण का विकास, औद्योगिक संस्थान, नागरिक उड्डयन, सहकारिता, ऊर्जा, शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक, चिकित्सा, कम्प्यूटर, कृषि इत्यादि) संस्कृत शिक्षा, वन, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी , इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, भाषा, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा, परिवहन, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पर्यटन, खाद्य एवं रसद, मनोरंजन , बाल विकास एवं पुष्टाहार, श्रम, भूतत्व एवं खनिजकर्म, खेलकूद, युवा कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग , भूमि विकास, जल संसाधन परती भूमि विकास , उद्यान, पर्यावरण, लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, संस्कृति, मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायती राज, आबकारी, ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा, न्याय एवं विधायी संस्थायें, नियोजन, निर्वाचन एवं पंचायती राज, बैंकिंग भाषा, मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एवं जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सतर्कता, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जनसम्पर्क, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुरातत्व, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, प्राणी उद्यान, एड्स नियंत्रण,गंगा–यमुना आदि स्वच्छीकरण, आपदा राहत, सैनिक कल्याण, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा, स्थानीय निकाय, यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थायें, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, आन्तरिक लेखा परीक्षा, संगीत, नाटक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उपभोक्ता हेतु संरक्षण, भूमि सुधार, भण्डारण, विचार, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थाऐं आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना।

23. उपरोक्त सभी क्रिया–कलापों हेतु राज्य /केन्द्र सरकार/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं/अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्टों तथा जागरूक व्यक्तियों से अनुदान/मदद प्राप्त करना।

24. अनुदान/दान आदि प्राप्त करने के लिए न्यास परिषद के अध्यक्ष ही अधिकृत होंगे।

25. ट्रस्ट की मूल राशि से आय उत्पन्न करना तथा दान एवं अन्य सहयोग से समय–समय पर लेकर ट्रस्ट की सम्पत्ति की वृद्धि करना।

26. छात्र–छात्राओं, कामकाजी महिलाओं, वृद्धो, विधवाओं तथा अनाथों के लिए छात्रावास /आश्रम की व्यवस्था जिसमें शिक्षा/भोजन की सुविधायें भी हों।

5. <u>न्यास की धन सम्पदा एवं सम्पत्तियाँ :–</u>

न्यास की उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु ट्रस्ट के संस्थापक श्री राघवेन्द्र कुमार राय द्वारा दिये गये 50हजार रूपये(रू0 50000/-) की धनराशि ट्रस्ट की मूल राशि कही जायेगी।

6. ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति (न्यासी परिषद) अपनी सामान्य शक्तियों को अप्रभावित रखते हुए और भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में कुछ भी विपरीत लिखे होते हुए भी, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अनुरूप निम्नलिखित शक्तियां धारण करेंगी।

1. ट्रस्ट/ न्यास के लिए सहयोग, चन्दा, आम जनता, किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोसिएशन, किसी अन्य न्यास या कार्पोरेट बाडी इत्यादि से धनराशि या अन्य किसी रूप में शर्तों के साथ या बिना शर्तों के स्वीकार करना।

2. इस न्यास पत्र की शर्तो के अधीन न्यास की सम्पत्तियां तथा आय या उसके किसी भी भाग को न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने विवेक अनुसार समय–समय पर उपयोग करना।

3. न्यास राशि को बढ़ाने हेतु न्यास की शर्तो के अधीन न्यास के लिए चल व अचल सम्पत्तियां प्राप्त करना।

4. न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समय–समय पर न्यास की सम्पत्तियों का विक्रय करना बंधक रखना, पट्टे पर देना, लाइसेन्स पर देना व किसी अन्य प्रकार अन्तरित करना।

5. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(1) तथा धारा 11(5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओ में लगाना।

6. विभिन्न योजनाओं में लगाये गये न्यास के धन को वापस लेना उसमें परिवर्धन करना या निरस्त करना।

7 न्यास के उद्देश्यों के हित मे समझौता करना, अनुबन्ध करना तथा उन्हें परिवर्तित एवं निरस्त करना।

8 न्यास के उद्देश्यों हेतु अनुदान प्राप्त करना या देना उसकी रसीद देना या प्राप्त करना।

9 सरकार के समक्ष तथा न्यायालय, ट्रिब्यूनल, राजस्व, म्युनिस्पल तथा स्थानीय निकाय आदि के सम्मुख न्यास का प्रतिनिधित्व करना तथा सभी प्रकार के वाद, अपील, रिव्यू चाहे वह न्यायालय के समक्ष हो या अन्य अधिकारियों व निकाय व ट्रिब्यूनल के समक्ष वाद को दायर करना उन्हें चलाना तथा ऐसे वादों में जो न्यास के विरुद्ध दायर किये गये हो न्यास के हित की प्रतिरक्षा करना।

10 न्यासियों द्वारा निर्धारित शर्तो व वेतन पर किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों को न्यास के कार्यो हेतु नियुक्त करना और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना और उनकी सेवायें समाप्त करना । न्यास परिषद के ऐसे कार्यो को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित नहीं किया जा सकेगा या चुनौती दी जा सकेगी।

11. न्यास की सम्पत्ति या क्रिया-कलापों के जरूरी प्रबन्धन के लिए न्यास परिषद जो भी व्यय या खर्च आवश्यक समझे उनका वहन करना।

12. न्यास या उसके द्वारा संचालित संस्थाओं आदि के सम्बन्ध में बैंक में खाता खोलना तथा एक या एक से अधिक न्यासी द्वारा उक्त बैंक खाता खोलने तथा चलाने की व्यवस्था करना।

13. न्यास परिषद की समिति द्वारा अपनी कुछ शक्तियॉ किसी न्यासी या अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करना, परन्तु ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के कार्य व्यवहार को न्यासीगण के नियंत्रण एवं निर्देशों के अधीन रखना।

14. न्यास की चल या अचल सम्पत्ति व फण्ड किसी ऐसे अन्य न्यास को हस्तान्तरित करना जो इस न्यास के सामन हो तथा आयकर अधिनियम 1980 की धारा 80 जी मे मान्यता प्राप्त हो।

15. न्यासियो की सहमति पर लोगों को न्यास की संचालित संस्थाओं का समय-समय पर सदस्य बनाना तथा नियम व परिनियम को बनाना तथा उनमें परिवर्तन करना, परन्तु संस्थाओं के ऐसे सदस्यों को इस न्याय में मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।

16. न्यास राशि के लिए सभी प्रकार की कार्यवाही शर्तों, दावों, माँग, मुकदमा, आदि के सम्बन्ध में समझौता करने, मध्यस्थ को सौंपने तथा समीयाचित करना।

17. समय–समय पर मुख्तयार–ए–आम या मुख्त्यासर–ए–खास या अभिकर्ता नियुक्त करना और मुख्तयार–ए–आम या मुख्तयासर–ए–खास या अभिकर्ता को अपनी शक्तियाँ प्रतिनिधानित करना और अधिकृत करना तथा समय समय पर ऐसे या मुख्तयार व अभिकर्ता को हटाना व उनके स्थान पर अन्य नियुक्त करना।

18. न्यास उददेश्यों की पूर्ति हेतु परिनियम तथा योजनाएँ बनाना व उनमें परिवर्तन करना और न्यास के उददेश्यों की पूर्ति हेतु न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के क्रिया–कलापों के प्रबन्धन आदि हेतु योजनायें तथा परिनियम बनाना व उनमें परिर्वतन करना।

19. जनहित में किसी भी पूर्व संस्था को प्रारम्भ करना, समाप्त करना, स्थगित करना, पुनः प्रारम्भ करना या स्थापित करना और उन संस्थाओं को प्राप्त दान व चन्दा के सम्बन्ध में शर्ते लागू करना।

20. न्यास की आय, न्यास के विभिन्न उददेश्यों के अनुसार विभाजित करना और न्यास निधि में जमा करना।

21. देश में ऐसे न्यास पूर्त संस्थाऐं /सोसाइटी/संगठन आदि की न्यास की आय में से दान आदि देकर सहायता करना, जिनके उददेश्य इस न्यास के समकक्ष व समान हो तथा और किसी भी प्रकार से न्यास के उददेश्यों की पूर्ति कर सके। ऐसे न्यासों, न्यास पूर्व संस्थाओं/समितियां /संगठनों इत्यादि को पुनः प्रारम्भ करना, अनुरक्षित करना तथा न्यास के उददेश्यों हेतु संचालित करना।

22. संस्था के खातों को व्यवस्थित करना तथा हानि का दायित्व ना लेते हुए न्यास के कार्य–कलापों, कार्यवाहियों, मांगों दावों या वाद–विवाद में जैसा वह उचित समझे समझौता करना, उसका परित्याग करना या न्यास को फैसले हेतु सौपना।

23. न्यास की सम्पत्ति पर या किसी अन्य प्रकार से जमानत पर या जमानत बिना किसी भी बैंक, संस्था से ऋण लेना और न्यासीगण की सहमति पर न्यास के उददेश्यों की पूर्ति हेतु ऋण धनराशि देय ब्याज इत्यादि की शर्तों का निर्धारण न्यासीगण के विवेकानुसार किया जायेगा।

24. न्यास के उददेश्यों की पूर्ति हेतु सरकार, सहकारी संस्थाऐं, कार्पोरेशन कम्पनी

व अन्य व्यक्तियों से दान, चन्दा, उपहार, अनुदान, मदद एवं धन लेने के लिए प्रार्थना–पत्र देना तथा चन्दा आदि प्राप्त करना। इस सम्बन्ध में सहायता सम्बन्धी शर्तों को निश्चित करना तथा शासकीय विभागों, सरकारी संस्थाओं, कार्पोरेट कम्पनियों, व अन्य व्यक्तियों आदि से न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वार्ता करना, समझौता करना तथा अनुदान को प्राप्त तथा ऋण वापसी इत्यादि की शर्तें निर्धारित करना।

25. न्यासीगण की सहमति पर न्यास को अन्य समान उद्देश्यों वाले न्यास/सोसाइटी संगठन व संस्था का सहयोगी बनाना या सम्मेलन करना जो कि आयकर अधिनियम 1861 की धारा 80 जी में मान्यता प्राप्त हो या ऐसी संस्थाओं को अपने में आमोलित करना ।

26. न्यास की अन्य शाखा अथवा अन्य न्यास या उसकी शाखा (जिनके उद्देश्य समान हो) को स्थापित करना, अनुरक्षित करना, व्यवस्थित करना, सहायता करना, संचालित करना या उन्हें इस न्यास से जोड़ना या इस न्यास में सम्मिलित कर लेना।

27. ऐसी संस्थाओं को लेना या उन पर नियंत्रण करना या उन्हें प्रतिबंधित करना या उन्हें सहायता देना या अनुरक्षित करना, जिनका उद्देश्य न्यास के समान व समकक्ष हो तथा इस सम्बन्ध में शर्ते लागू करना।

28. इस न्यास में जिन अन्य न्यासों, संस्थाओं, संगठनों, समितियों को सम्मिलित किया जा सकता हैं को खरीदना व प्राप्त करना।

29. न्यासीगण की सहमति पर न्यास को अन्य समान उद्देश्यों वाले न्यास/सोसाइटी संगठन व संस्था का सहयोगी बनाना या सम्मेलन करना जो कि आयकर अधिनियम 1861 की धारा 80 जी में मान्यता प्राप्त हो या ऐसी सस्थाओं को अपने अधिकार में लेना।

30. न्यास की अन्य शाखा अथवा अन्य न्यास या उसकी शाखा (जिनके उद्देश्य समान हो) को स्थापित करना, अनुरक्षित करना, व्यवस्थित करना, सहायता करना, संचालित करना या उन्हे इस न्यास से जोड़ना या इस न्यास में सम्मिलित कर लेना।

31. ऐसी संस्थाओं को लेना या उन पर नियंत्रण करना या उन्हें प्रतिबंधित करना या उन्हें सहायता देना या अनुरक्षित करना, जिनका उदद्देश्य न्यास के समान व समकक्ष हो तथा इस सम्बन्ध में शर्ते लागू करना।

32. न्यास की सम्पत्ति , आस्ति आदि किसी अन्य ऐसे न्यास, समिति, संस्था या संगठन को हस्तान्तरित करना, जिसमें न्यास का विलय होना अधिकृत किया गया है।

33. न्यास को उन अन्य समिति, संस्था, न्यास, या संगठन को उन शर्तो में सौंपना जिन्हें न्यासीगण उचित समझे, परन्तु इस सम्बन्ध में अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी एवं ऐसा होने पर न्यासीगण अपने दायित्व से उन्मोचित हो जायेगें और न्यास की राशि भी हस्तान्तरित हो जायेगी।

34. न्यास के आवर्तक व अनार्वतक होने वाले खर्चो को निश्चित करना, उन्हें अनुमोदित करना व आवंटित करना और इस सम्बन्ध में न्यासीगण कार्यभार के सम्बन्ध में और इससे सम्बन्धित होने वाली बैठकों के सम्बन्ध में नियम बना सकते है और उन नियमों को समय–समय पर संशोधित कर सकते हैं। इस प्रकार बनाये गये सभी नियम अध्यक्ष द्वारा अनुमादित होने के उरान्त ही प्रभावी होंगे।

35. न्यास व इसकी संस्थाओं के संचालन व परिवर्धन हेतु व्यवित या व्यक्तियों जिसमें न्यासी/प्रबन्ध–न्यासी व समिति आदि शामिल है को नियमानुसार नियुक्त करना तथा इस सम्बन्ध में अपने नियम व परिनियम बनाना एवं विभिन्न पूंजी व निवेश के सम्बन्ध में न्यास के प्रावधानों के अनुसार नियम व परिनियम बनाना तथा विभिन्न न्यासी नियुक्त करना।

36. न्यास के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार मानदेय पर कर्मचारी व सहयोगी नियुक्त कर सकते हैं, जिससे न्यास की समुचित प्रावधान किया जा सके।

37. न्यास को यह अधिकार होगा कि वे आर्थिक तकनीकी व अन्य प्रकार की सहायता अन्य व्यक्तियों से अधिकारियों या संस्था से उन शर्तो पर ले सकते है जो उन्हें उचित लगे तथा जो न्यास के उद्देश्यों से सामंजस्य रखती हो।

38. न्यास के अध्यक्ष अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग अपने विवके से करेंगे जो कानूनी व उचित माने जायेगें।

39. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष के अनुमति से अन्य ट्रस्टों को वित्तीय या अन्य प्रकार की मदद उपलब्ध कराना।

7. अ. ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति का गठन –

ट्रस्ट के दो अंग होंगे, प्रबन्ध समिति और साधारण सभा। प्रबन्ध समिति में निम्नवत् कुल 5 पदाधिकारी होगें।

1. अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष 3.प्रबन्धक, 4. उप–प्रबन्धक 5. कोषाध्यक्ष

समिति के प्रथम पदाधिकारी निम्नवत् होंगे–

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद
1	राघवेन्द्र कुमार राय	स्व0 बरमेश्वरनाथ राय	ग्राम व पोस्ट– सरेंजा, बक्सर	अध्यक्ष
2	जय प्रकाश राय	श्री श्रीभगवान राय	N-13/21913,198C बृज इनक्लेव कॉलोनी सुन्दरपुर, वाराणसी, उत्तरप्रदेश	उपाध्याक्ष
3	सुधीर कुमार राय	स्व. रमाशंकर राय	ग्राम व पोस्ट– ककरमत्ता, वाराणसी	प्रबन्धक
4	आनन्द मोहन	स्व. तारा शंकर सिंह	ग्राम– छितौनी, पो+थाना– लोहता, जिला–वाराणसी	उप–प्रबन्धक
5	जितेन्द्र कुमार सिंह	श्री शीतला प्रसाद सिंह	ग्राम– पूरा शिव पोस्ट–सकलपुर वाराणसी।	कोषाध्यक्ष

उक्त पदाधिकारियों को संस्थापक पदाधिकारी अर्थात संस्थापक अध्यक्ष, संस्थापक उपाध्यक्ष, संस्थापक प्रबन्धक, संस्थापक उप–प्रबन्धक और संस्थापक कोषाध्यक्ष कहा जायेगा।

साधारण सभा में अधिकतम 51 सदस्य होंगे। ट्रस्ट की साधारण सभा का सदस्य बनने की अर्हताओं और शर्तों का उल्लेख आगे किया गया है।

ट्रस्ट के पदाधिकारियों और साधारण सभा के सदस्यों को **ट्रस्टी या न्यासी** कहा जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों और साधारण सभा के सदस्यों को संयुक्त रूप से न्यास परिषद कहा जायेगा।

7. (ब) ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष की मृत्यु होने/दिवालिया होने अथवा उनके पागल होने की स्थिति में ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नया अध्यक्ष चुने जाने तक अध्यक्ष पद पर स्थापित होगें। अध्यक्ष पद रिक्त होने की दशा में ट्रस्ट के शेष चारो पदाधिकारी आपस में से या साधारण सभा से नये अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। यदि चारो पदाधिकारी किसी एक नाम पर सहमत नहीं होंगे तो ट्रस्ट

की साधारण सभा और ट्रस्ट के पदाधिकारियों की संयुक्त (न्यास परिषद) बैठक में बहुमत के आधार पर ट्रस्ट के अध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा। अध्यक्ष पद पर किसी कारणवश अस्थायी रिवित होने पर उपाध्यक्ष अस्थायी रूप से अध्यक्ष पद का दायित्व निर्वहन करेंगे। उपाध्यक्ष का चयन ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा साधारण सभा के सदस्यों में से किया जायेगा। संस्थापक प्रबन्धक, संस्थापक उप–प्रबन्धक और संस्थापक कोषाध्यक्ष का पद रिक्त होने की दशा में साधारण सभा के सदस्यों और प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों (न्यास परिषद) की बैठक में बहुमत के आधार पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये किया जायेगा–

–– पदाधिकारी के रूप में चयनित व्यक्ति संस्थापक प्रबन्धक या संस्थापक कोषाध्यक्ष का रक्त संबन्धी होना चाहिये।

–– चयनित व्यक्ति का ट्रस्ट का ट्रस्टी/न्यासी होना अनिवार्य होगा।

–– यदि संस्थापक प्रबन्धक या संस्थापक कोषाध्यक्ष का कोई रक्त संबन्धी ट्रस्टी / न्यासी न हो तभी सामान्य ट्रस्टी/न्यासी गणों मे से इन पदों पर चयन किया जायेगा। साधारण सभा में संस्थापक प्रबन्धक, संस्थापक उप–प्रबन्धक और संस्थापक कोषाध्यक्ष के रक्त संबन्धी होने और पदाधिकारी न बनने की इच्छा व्यक्त करने पर इस सम्बन्ध में उनका लिखित हलफनामा दिये जाने के उपरान्त ही साधारण सभा के सदस्यों में से पदाधिकारियों का चयन किया जायेगा।

7. (स) प्रबन्ध समिति का कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष होगा तथा प्रबन्ध समिति द्वारा लिये गये सभी निर्णयों का कियान्वयन उसी के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

7. (द) ट्रस्ट की साधारण सभा का सदस्य बनने हेतु निम्नांकित अर्हतायें आवश्यक हैं–

1–- भारत का नागरिक हो,
2.–- न्यूनतम 21 वर्ष की आयु हो,
3.–- पागल, या दिवालिया न हो,
4.–- दुराचार या राष्ट्रद्रोह में सजायाफ्ता न हो,

उपरोक्त श्रेणी का कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट को न्यूनतम 51000 रूपये का दान करे और अध्यक्ष, प्रबन्धक और कोषाध्यक्ष में से किन्हीं भी दो पदाधिकारियों समेत दो तिहाई ट्रस्टी उसे लिखित रूप में साधारण सभा का सदस्य बनाने पर सहमति व्यक्त करें, ट्रस्ट की साधरण सभा का सदस्य बन सकता है। सदस्य बनने की सहमति सदस्य बनने के आवेदन पत्र के पृष्ठ भाग पर दी जानी आवश्यक होगी तथा उक्त दान ट्रस्ट के बैंक खाते में ही प्राप्त किया जायेगा, किसी भी दशा में नगद नहीं लिया जायेगा। साधारण सभा का सदस्य बनने को इच्छुक व्यक्तियों द्वारा दान भी तभी दिया जायेगा जब

जिला अवर निबंधक बक्सर
जिला अवर निबंधक बक्सर

उन्हें सदस्य बनाये जाने हेतु अध्यक्ष, प्रबन्धक और कोषाध्यक्ष में से किन्हीं भी दो पदाधिकारियों समेत साधारण सभा के दो तिहाई सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान कर दी गयी हो।

7. (य) संस्थापक पदाधिकारी आजीवन पदाधिकारी बने रहेंगे और उन्हें सामान्य रूप से उनके पद से हटाया नहीं जा सकेगा। यदि पदाधिकारियों में किसी भी बिन्दु पर विवाद हो तब सभी ट्रस्टीगण/न्यासीगण के साथ पदाधिकारियों की संयुक्त (न्यास परिषद) बैठक में प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा। यदि इसके बाद भी कोई पदाधिकारी (संस्थापक पदाधिकारियों सहित) यदि अपने दायित्वों के निर्वहन से इंकार करता है तो न्यास परिषद की बैठक में कुल संख्या के बहुमत की लिखित सहमति से और ऐसे पदाधिकारी के संस्थापक पदाधिकारी होने की स्थिति में कुल संख्या के तीन चौथाई बहुमत की लिखित सहमति से इस पदाधिकारी को पद से हटाया जा सकेगा। ऐसी दशा में ऐसा पदाधिकारी साधारण सभा का भी सदस्य नहीं रह जायेगा।

7. (र) ट्रस्ट के अध्यक्ष को यदि यह समाधान हो जाये कि ट्रस्ट का कोई ट्रस्टी/न्यासी ट्रस्ट के उद्देश्यों/हितों के विपरीत कार्य कर रहा हो तो वह प्रबन्धक और कोषाध्यक्ष की लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरान्त या साधारण सभा के एक तिहाई सदस्यों की लिखित सहमति प्राप्त कर बर्खास्त कर सकेंगे और उनका यह निर्णय अन्तिम होगा। यदि साधारण सभा किसी भी ट्रस्टी/न्यासी के किया कलापों से संतुष्ट नहीं है तो अपनी बैठक में बहुमत से पारित प्रस्ताव से उस ट्रस्टी/न्यासी को ट्रस्ट से बर्खास्त कर सकती है।

8. 7(य) और 7(र) के प्राविधानों के अनुसार किसी पदाधिकारी/ ट्रस्टी/न्यासी को हटाये जाने पर ट्रस्ट को ऐसे पदाधिकारी/ ट्रस्टी/न्यासी द्वारा दिया गया दान वापस नहीं किया जायेगा।

9. <u>ट्रस्ट की कार्य प्रणाली</u>

1. ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगी। अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा वह प्रबन्ध समिति एवं ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगा।

2. ट्रस्ट की साधारण सभा की बैठक सामान्यतया वर्ष में एक बार कराया जाना आवश्यक होगा। अध्यक्ष की सहमति से तिथि निर्धारित करते हुये बैठक बुलाने का दायित्व एवं बैठक में लिये गये समस्त निर्णयों तथा अन्य विचार-विमर्श को लिपिबद्ध कराते हुए सुरक्षित रखने का दायित्व प्रबन्धक का होगा। यदि अध्यक्ष द्वारा साधारण सभा की बैठक बुलाने से इंकार किया जाता है तो साधारण सभा के सदस्यों में से एक चौथाई सदस्यों की लिखित मांग पर ट्रस्ट का प्रबन्धक ट्रस्ट की साधारण सभा की बैठक बुलाने हेतु अधिकृत होगा तथा यदि ऐसी स्थिति में अध्यक्ष यदि सूचित किये जाने के उपरान्त भी बैठक

बक्सर

में उपस्थित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन नही करते हैं तो उपाध्यक्ष और यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रबन्धक द्वारा ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने समेत अध्यक्ष के समस्त दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा। इस प्रकार आयोजित हुयी बैठक में साधारण सभा द्वारा अपनी कुल संख्या के बहुमत से जो भी निर्णय लिये जायेंगे वह विधिक और मान्य होंगे। अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा बैठक न बुलाये जाने और साधारण सभा के सदस्यों द्वारा बैठक बुलाये जाने की लिखित मांग न किये जाने की स्थिति में बैठक न कराया जाना ट्रस्ट की नियमावलि का उल्लंघन नहीं माना जायेगा। एक वर्ष की निर्धारित अवधि के उपरान्त भी यदि तीन माह तक साधारण सभा की बैठक नही हो पाती है तो ऐसी स्थिति में प्रबन्ध समिति के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय ट्रस्ट की साधारण सभा का निर्णय माना जायेगा।

ट्रस्ट की वार्षिक बैठकों में प्रतिभाग करने के लिये ट्रस्टीगण को न्यास परिषद द्वारा निर्धारित यात्राभत्ता मांगे जाने पर दिया जा सकेगा।

10. ट्रस्ट का कोरम :–

ट्रस्ट की साधारण सभा के सदस्य संख्या के 1/2 से अधिक की उपस्थिति बैठक के संचालन हेतु आवश्यक होगी। इसके अभाव में कोरम (गणपूर्ति) का अभाव माना जायेगा। कोरम के अभाव में स्थगित हुई बैठक के एक माह के भीतर दुबारा बैठक करना अनिवार्य होगा।

(अ) कोरम (गणपूर्ति) के अभाव में लगातार तीन बार बैठक आयोजित न होने की दशा में ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से ट्रस्ट के हित में लिया गया कोई निर्णय ट्रस्ट का निर्णय माना जायेगा।

(ब) बैठक की सूचना सभी सदस्यों को उनके स्थायी पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से बैठक के दिनांक से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी। अपरिहार्य स्थिति में बैठक की तिथि से तीन दिन पूर्व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों यथा मोबाइल मैसेज, वाट्सऐप या ई–मेल आदि से भी सूचित किया जाना पर्याप्त होगा। बैठक में उपस्थित सदस्य के संबन्ध में यह माना जायेगा कि वह सूचित हो गया है और तकनीकि आधारों पर बैठक रद्द नहीं की जायेगी या बैठक में लिये गये निर्णय अमान्य नहीं होंगे।

11. ट्रस्टियों /न्यासीगण के अधिकार :–

ट्रस्ट के पदाधिकारियों/सदस्यों के निम्नवत अधिकार होगें–

(क) अध्यक्ष के कर्तव्य/ अधिकार :– संस्था के हित में चल–अचल

राघवेन्द्र कुमार राय 8.2.17
जय प्रकाश राय 8/2/2017
सुधीर कुमार राय 8/2/2017
आनन्द ओझा 8.2.2017
जितेन्द्र कुमार सिंह 8.2.17

सम्पत्तियों का क्रय व विक्रय करना एवं ट्रस्ट की साधारण सभा या पदाधिकारियों या अन्य सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना एवं उनके सुचारू रूप से संचालन हेतु नियम निर्देश तय करना।

1 मतदान की स्थिति में समान मत होने की स्थिति में मतदान करना।

2 ट्रस्ट के उददेश्यों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना।

3. उपाध्यक्ष का मनोनयन/चयन करना।

4. न्यास व न्यास से संबंधित समस्त संस्थाओं के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति व सेवा संचालन तथा सेवा समाप्ति।

5. न्यास/न्यास से सम्बन्धित समस्त संस्थाओं के सम्बन्ध में समस्त प्रकार के प्रशासनिक व वित्तीय निर्णयों (जो ट्रस्ट द्वारा लिये गये हो) के क्रियान्वयन को स्वयं या किसी के माध्यम से सुनिश्चित करना।

6. न्यास के सभी पत्राचार अध्यक्ष के नाम होगें।

7. न्यास की समस्त राशियों का व खातों का कोषाध्यक्ष के सहयोग से संचालन ।

8. सभी प्रकार के वित्तीय हिसाब–किताब रखना तथा ट्रस्ट की बैठकों में उन्हें कोषाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करना।

9. अपने उपरोक्त दायित्वों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट से न्यास परिषद द्वारा निर्धारित व्यय प्राप्त करना।

(ख) उपाध्यक्ष के कर्तव्य/ अधिकार :–

1. अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किये गये सभी प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करना।

2 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष में दायित्वों का निर्वहन करना।

(ग) प्रबन्धक के कर्तव्य/ अधिकार :–

1. अध्यक्ष की अनुमति से या ट्रस्ट में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अन्यथा भी ट्रस्ट की वार्षिक बैठकों एवं अन्य सभी प्रकार की बैठकों का आयोजन करना।

2 ट्रस्ट एवं सम्बन्धित संस्थाओं की समस्त प्रकार की कार्यवाही को बैठक में प्रस्तुत करना एवं अध्यक्ष के निर्देशानुसार समस्त प्रकार के प्रशासनिक कार्य करना।

3. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में असफल रहने पर या इंकार करने पर ट्रस्ट की साधारण सभा की बैठक आयोजित कराना और ऐसी बैठक में साधारण सभी की संख्या के बहुमत के आधार पर लिये गये निर्णयों को क्रियान्वित करना।

4. किसी भी वयक्ति को साधारण सभा का सदस्य बनाने हेतु अथवा सामान्य ट्रस्टी/न्यासी को बर्खास्त करने के लिये ट्रस्ट के अध्यक्ष को अपनी लिखित सहमति या असहमति प्रदान करना।

5. अपने उपरोक्त दायित्वों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट से न्यास परिषद द्वारा निर्धारित व्यय प्राप्त करना।

(घ) कोषाध्यक्ष के कर्तव्य/ अधिकार :-

1. अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से ट्रस्ट के सभी बैंक खातों का संचालन करना।
2. अन्य सभी अर्हताओं के पूर्ण होने के उपरान्त किसी व्यक्ति को ट्रस्ट का सदस्य बनाने हेतु शुल्क प्राप्त करना।
3. अपने दायित्वों से सम्बन्धित समस्त प्रकार के अभिलेखों का रख-रखाव करना।
4. किसी भी वयक्ति को साधारण सभा का सदस्य बनाने हेतु अथवा सामान्य ट्रस्टी/न्यासी को बर्खास्त करने के लिये ट्रस्ट के अध्यक्ष को अपनी लिखित सहमति या असहमति प्रदान करना।
5. अपने उपरोक्त दायित्वों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट से न्यास परिषद द्वारा निर्धारित व्यय प्राप्त करना।

(ङ) ट्रस्टी के कर्तव्य/ अधिकार :-

1. ट्रस्ट की बैठक में प्रतिभाग तथा मत देना।
2. ट्रस्ट के पदाधिकारियों का नियमानुसार चयन करना।
3. ट्रस्ट के कार्यों के संपादन के लिये सलाह देना तथा जनहित के नयें कार्यों को प्रारम्भ करने की अनुशंसा करना।
4. किसी भी सामान्य ट्रस्टी/न्यासी को बर्खास्त करने के लिये ट्रस्ट के अध्यक्ष को अपनी लिखित सहमति या असहमति प्रदान करना।
5. ट्रस्ट की नियमावलि में उल्लिखित अन्य दायित्वों का निर्वहन करना।

13 ट्रस्ट के अभिलेख

ट्रस्ट के निम्न आवश्यक अभिलेख होंगे-

1. कार्यवाही रजिस्टर,
2. सूचना रजिस्टर,
3. आय-व्यय, रजिस्टर,
4. धन प्राप्त करने संबंधी रसीद

कम संख्या एक और दो के अभिलेख ट्रस्ट के प्रबन्धक द्वारा और कम संख्या तीन और चार के अभिलेख संस्था के कोषाध्यक्ष द्वारा सुरक्षित रखे जायेंगे उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य अभिलेख/ पत्रावलियां भी ट्रस्ट के प्रबन्धक द्वारा रिकार्ड में रखे जायेगें।

14 ट्रस्ट की सम्पत्तियों का प्रबन्धन-

अ–. ट्रस्ट द्वारा अर्जित की जाने वाली सम्पत्तियां प्रबंधकीय निर्णयों के अनुरूप प्रबंध में रखी जायेगी। अध्यक्ष प्रबंध समिति के निर्णय के अधीन सम्पत्तियों के क्रय–विक्रय के लिए अधिकृत रहेंगे।

ब– ट्रस्ट के तरफ से ऋण आदि लेने के लिए अध्यक्ष प्रबंधकीय स्वीकृति के अधीन अधिकृत होगें।

15 ट्रस्ट का कोष :–

ट्रस्ट का एक या आवश्यकतानुसार एक से अधिक खाता अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के नाम से बैंक में खोला जायेगा तथा इनके संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होगा। सभी दान/उपदान के धन इसी खाते/खातों में जमा किये जायेगें तथा प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार व्यय किये जायेगें।

16 विशेष परिस्थितियों में निर्णय :–

यदि ट्रस्ट के नियमावली/न्यासपत्र में कहीं कोई अस्पष्टता या विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है तो न्यास परिषद की बैठक में बहुमत के आधार पर लिया गया तदविषयक निर्णय स्वीकार्य होगा और ट्रस्ट की नियमावली के अनुरूप माना जायेगा।

17. ट्रस्ट डीड में संशोधन :–

वर्तमान ट्रस्ट डीड में यदि प्रबन्ध समिति संशोधन करना चाहे तो प्रबन्ध समिति और साधारण सभा के सम्पूर्ण सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के आधार पर किया जा सकेगा जो पंजीकरण की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

18. विघटन :–

अगर कभी इस ट्रस्ट के विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है तो यह इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अधीन होगा।

मैं राघवेन्द्र कुमार राय पुत्र श्री कमलेश्वर राय राये निवासी ग्राम व पोस्ट सरेंजा, बक्सर, बिहार दिनांक 08.2.2017 को इस ट्रस्ट का पंजीकरण कराकर इसकी स्थापना करता हूँ।

राघवेन्द्र कुमार राय
न्यासकर्ता का हस्ताक्षर

(1) गवाह– अनिल कुमार श्रीवास्तव
पिता स्व० रामप्रसाद लाल
ग्राम – सोहनी
थाना– राजपुर
जिला बक्सर 8/2/2017

(2) गवाह पशुराम लाल
पिता स्व० शिवनाथ लाल
ग्राम शेरपुर
थाना बक्सर
जिला बक्सर
8/2/17

राघवेन्द्र कुमार राय 8.2.17
उमाप्रकाश राय 8/2/2017
सुनील कुमार राय 8/2/2017
आनन्द ओझा 8.2.2017
चितरंजन कुमार सिंह 8.2.17

अपर ... बक्सर

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 6000/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs.	1000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs.	7500/-

Registration Fee

FEE PAID										
A1	1000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	1000	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
								TOTAL-	2000

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	500
Proc.Fee	0	
Total	0	

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 2500

Date: 08/02/2017

Registering Officer
Buxar

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Buxar on Wednesday, 08th February 2017 by Raghvendra Kumar Rai Late Barmeshwar Nath Rai by profession Others. Status - Trustee

राघवेन्द्र कुमार राय 8/2/17
Signature/L.T.I. of Presentant **Date:08/02/2017**

Registering Officer
Buxar

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Anil Kumar Shrivastwa' age '46' Sex 'M', 'Ramaa Pd Lal', resident of 'Sarenja,buxar'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 08/02/2017

Registering Officer
Buxar

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Buxar in Book 4 Volume No. 1 on pages on 98 -116, for the year 2017 and stored in CD volume No. CD-1 year 2017 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 08/02/2017
Token No. : 1106 **Year : 2017** **S.No. : 1094** **SCORE Ver.4.1**

Registering Officer
Buxar
Deed No. : 11

सच्ची प्रतिलिपि
जिला अवर निबंधक बक्सर
17/3/23

Smt./Sri. Raghvendra Kumar Rai
Who is identified by sri...
Who is identified by Sri .D Singh
Advocate solemnly affirmed
and Declared Before me

Rabindra Kumar Tiwari 20-4-26
NOTARY, DIST BUXAR
NO. 366 DATE ...... TIME 20-4-26

समक्ष,
Adhar/PAN/V.I. No ....
नोटरी पब्लिक, बक्सर

शपथ–पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरा नाम– राघवेन्द्र कुमार राय पति– स्व. वशेश्वर नाथ राय, पता– ग्रा०+पो० – सरेंजा, था०– राजपुर जि० – बक्सर ....का निवासी हूँ।
2. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं चाणक्य फाउन्डेशन ट्रस्ट में ...अध्यक्ष... पद पर हूँ।
3. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि इस चाणक्य फाउन्डेशन ट्रस्ट से मैं किसी प्रकार का अपने लिए लाभ का कार्य नही करूँगा।
4. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि पारा 1 ता 3 मेरी जानकारी में सही वो सत्य है।

R K Rai
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र

मैं शपथकर्ता को जानता वो पहचानता हूँ जिन्होने सही पाकर अपना हस्ताक्षर मेरे सामने बना दिया।

NOTARY
Rabindra Kumar Tiwary
Area- BUXAR
Reg. File No.-A/ NOT/ 72/2018/8590/J
Dt/Exp. 11/12/2028
GOVT. OF BIHAR
20-4-26

I Identify the Signature/L.T.I.
R.T.I. Of Deponents who
Signed/R.T.I./L.T.I. In my Presence.
अधिवक्ता 20-4-26
ADVOCATE
E.No.- ....

Sm./Sri. Anand Mohan
Who is identified by sri.....
Who is identified by Sri ... D Singh
Advocate solemnly affirmed
and D. clared Before me

RKS

Rabindra Kumar Tiwari 20.4.26
NOTARY, DIST BUXAR
NO... 372 DATE ...... TIME 20.4.26

Adhar/PAN/V.I No. ....
समक्ष,

नोटरी पब्लिक, बक्सर

शपथ–पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरा नाम– आनन्द मोहन पति/पिता – स्व तारांशकर सिंह, पता– ग्रा.– छितौनी पो० लोहता जिला – वाराणसी का निवासी हूँ।

2. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं चाणक्य फाउन्डेशन ट्रस्ट में उप – प्रबंधक पद पर हूँ।

3. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि इस चाणक्य फाउन्डेशन ट्रस्ट से मैं किसी प्रकार का अपने लिए लाभ का कार्य नही करूँगा।

4. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि पारा 1 ता 3 मेरी जानकारी में सही वो सत्य है।

आनन्द मोहन
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र

मैं शपथकर्ता को जानता वो पहचानता हूँ जिन्होने सही पाकर अपना हस्ताक्षर मेरे सामने बना दिया।

NOTARY Rabindra Kumar Tiwari ... BUXAR ... GOVT. OF BIHAR

20.4.26

I Identify the Signature/L.T.I.
R.T.I. Of Deponents who has
Signed/R.T.I./L.T.I. In my Presence.
20.4.26
ADVOCATE
E.No.-..............

... Sri Jitendra Kumar Singh
Who is identified by Sri......
Who is identified by Sri...... D. Singh
Who are solemnly affirmed
and Declared Before me
RKS 20-4-26

Rabindra Kumar Tiwari
NOTARY, DIST BUXAR
NO. 319 DATE...... TIME 20.4.26
स्थान/PAN/V.I No.

नोटरी पब्लिक, बक्सर

शपथ–पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरा नाम– जितेन्द्र कुमार सिंह पति/पिता– श्री शीतला प्रसाद सिंह पता– ग्रा०–पुरा शिव पो० सकलपुर जिला–वाराणसी ......का निवासी हूँ।
2. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं चाणक्य फाउन्डेशन ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष पद पर हूँ।
3. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि इस चाणक्य फाउन्डेशन ट्रस्ट से मैं किसी प्रकार का अपने लिए लाभ का कार्य नही करूँगा।
4. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि पारा 1 ता 3 मेरी जानकारी में सही वो सत्य है।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

NOTARY
Rabindra Kumar Tiwari
Area-BUXAR
Reg. No.
GOVT. OF BIHAR

20-4-26

प्रमाणित ... मैं शपथकर्ता को जानता वो पहचानता हूँ जिन्होने सही पाकर अपना हस्ताक्षर मेरे सामने बना दिया।

I identify the Signature/L.T.I./R.T.I. Of Deponents who has Signed/R.T.I./L.T.I. In my Presence.
20.4.26
अधिवक्ता
ADVOCATE
E.No.-..............

Sm./Sri. Jai Prakash Rai
Who is identified to Sri.......
Who is identified to Sri....... D Singh
Advocate solemnly affirmed
and Declared Before me

Rabindra Kumar Tiwari
NOTARY, DIST BUXAR
NO. 368 DATE........ TIME....... 20.4.26
समक्ष,
Adhar/PAN/V.I. No.
नोटरी पब्लिक, बक्सर

शपथ–पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरा नाम– जय प्रकाश राय पति/पिता० स्व० श्री श्रीभगवान राय, पता– N–13/21913, 198C, ब्रिज एन्कलेव कालोनी, सुन्दरपुर, वाराणसी का निवासी हूँ।
2. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं चाणक्य फाउन्डेशन ट्रस्ट में उपाध्यक्ष पद पर हूँ।
3. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि इस चाणक्य फाउन्डेशन ट्रस्ट से मैं किसी प्रकार का अपने लिए लाभ का कार्य नही करूँगा।
4. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि पारा 1 ता 3 मेरी जानकारी में सही वो सत्य है।

J.P. Rai
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र

मैं शपथकर्ता को जानता वो पहचानता हूँ जिन्होने सही पाकर अपना हस्ताक्षर मेरे सामने बना दिया।

20.4.26

I Identify the Signature/L.T.I.
R.T.I. Of Deponents on ... who
Signed/R.T.I./ ... Presence
D Singh 20.4.26
ADVOCATE
E.No.-...............

Sri Sudhir Kumar Raj
Who is identified by Sri ... D. Singh
Who is identified by Sri ...
Has made solemn affirmation
... I Declare Before me
RKS
20.4.26

Rabindra Kumar Tiwari
NOTARY, DIST BUXAR
संख्या 367 DATE ... TIME 20.4.26
Adhar/PAN/V.I. No ...
नोटरी पब्लिक, बक्सर

शपथ–पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरा नाम– सुधीर कुमार राय पति/पिता स्व रामाशंकर राय पता– ग्राम पो– ककरमत्ता, वाराणसी (उ.प्र) का निवासी हूँ।
2. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं चाणक्य फाउन्डेशन ट्रस्ट में प्रबन्धक पद पर हूँ।
3. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि इस चाणक्य फाउन्डेशन ट्रस्ट से मैं किसी प्रकार का अपने लिए लाभ का कार्य नही करूँगा।
4. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि पारा 1 ता 3 मेरी जानकारी में सही वो सत्य है।

S K Rai
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र

मैं शपथकर्ता को जानता वो पहचानता हूँ जिन्होने सही पाकर अपना हस्ताक्षर मेरे सामने बना दिया।

NOTARY
Rabindra Kumar Tiwari
GOVT. OF BIHAR
20.4.26

I Identify the Signature/L.T.I. R.T.I. Of Deponents who has Signed/R.T.I. अधिवक्ता
20.4.26
ADVOCATE
E.No.- ...